संख्या- 645 /60-1-14-1/13(122)/13

प्रेषक,

रमेश मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 07/03/ 2014

विषय: महिला कल्याण विभाग द्वारा उपेक्षित एंव निराश्रित बालकों/ बालिकाओं/शिशुओं के लिए संचालित बाल गृहों में आवासित मानसिक रूप से अविकसित संवासियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु विशेषीकृत अध्यापक (INTERINET TEACHER) की सेवा उपलब्ध कराए जाने से सम्बन्धित।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-6053/60-1-13-1/13(122)/13, दिनांक 26-12-2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जो महिला कल्याण विभाग के राजकीय बाल गृहों में आवासित मानसिक रूप से अविकसित विकलांग एंव बीमार बच्चों के उपचार, विशेषीकृत देखभाल, उनके पुनर्वासन, शिक्षाएवं विशेषीकृत प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक विशेषीकृत अध्यापक (INTERINET TEACHER) सम्बद्व करने सम्बन्धी आदेश निर्गत करने के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 10-03-2014 को मा0 उच्च न्यायालय में शासन को उपस्थित होकर उक्त व्यवस्था संचालित हो जाने के सम्बन्ध में हलफनामा प्रस्तुत किया जाना है । अत. आप से अनुरोध है कि एक विशेषीकृत अध्यापक (INTERINET TEACHER) सम्बद्व करने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 645 (1)/60-1-14, तद्दिनांक ।

प्रतिलिप निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।